छावनी परिषद् महू निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने हेतू उन भारतीय नागरिकों से जो निम्न अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते हों से सीधे ऑनलाईन आवेदन MPonline की दर्शित **URL:http://www.mponline.gov.in** के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान (7 वे राज्य वेतनमान के अनुसार)	अनिवार्य न्युनतम योग्यता	पदों की संख्या	आरक्षित / अनारक्षित
1.	कनिष्ठ लिपिक	Rs 25,300–80,500 Level-6	सामान्य / EWS अभ्यर्थी हेतू कक्षा 12वी में 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य हेतू 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण एवं हिंदी कम्प्यूटर टायपिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड / केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र । प्रत्येक वर्ग में आयोजित मुख्य परीक्षा में से चयनित अधिकतम अभ्यर्थीयों को हिंदी कम्प्युटर टायपिंग के साथ अग्रेजी टायपिंग अथवा अंगेजी / हिंदी शार्ट हेंड का भी ज्ञान हो, को अयोजित की जाने वाली योग्यता परीक्षा (Skilled Test) में अतिरिक्त योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के रूप में विचारित किया जाकर प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है ।	06	03 सामान्य, 01 अनुसुचित जाति, 01 EWS, 01 शारीरिक निःशक्त (40 प्रतिशत से अधिक स्थाई निःशक्तता पैर में (locomotor disability) नहीं हो)

<u>नोट :–</u>

1. छावनी परिषद् महू एक स्वशासी निकाय होकर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन होकर छावनी परिषद् कर्मचारियों की सेवाऐं छावनी अधिनियम 2006 एवं छावनी परिषद् कर्मचारी सेवा नियम 2021 के अन्तर्गत संचालित होती है। वेतन व भत्ते मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार होकर तथा पेंशन केन्द्रीय न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के नियमों के अधीन रहेगी। सभी नियुक्तियां स्थायी होकर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगी।

2. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 31.12.2022 को सामान्य वर्ग के लिये 21 से 30 वर्ष, और अनुसूचित जाति के लिये 21 से 35 वर्ष (5 वर्ष की अधिकतम छूट सहित) के मध्य होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, EWS का प्रमाण–पत्र अनुविभागीय अधिकारी / दण्डाधिकारी (Sub-divisional Officer/Magistrate) स्तर के अधिकारी तथा EWS का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संलग्न करना आवश्यक है। छावनी परिषद् महू में कार्यरत कर्मचारियों का आवेदन करने की दशा में आयु सीमा में छूट रहेगी । शारीरिक निशक्त आवेदक को सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र तथा निःशक्तता पोर्टल द्वारा जारी यू.डी.आई.डी. कार्ड लगाना आवश्यक रहेगा । निःशक्त आवेदको को वर्ग अनुसार आयु सीमा व छूट लागू रहेगी । आवेदको द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्र जांच के अधीन रहेंगें इस संबंध में किसी भी प्रकार की जांच कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार करवाई जा सकती है । प्रमाण पत्र जांच के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जा सकता है, किंतु प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर बगैर किसी भी प्रकिया के नियुक्ति प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है ।

3. अभ्यर्थीयों की जानकारी हेतू यह रोजगार सूचना विभिन्न समाचार पत्रों तथा छावनी परिषद् महू की बेबसाईट पर प्रकाशित की जा रही है । अभ्यर्थीयों द्वारा आपने आवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2022 से दिनांक 4 नवम्बर 2022 तक **URL:http://www.mponline.gov.in** पर भरे जा सकते है ।

4. सरकारी प्रतिष्ठानों / सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों, स्वायत्त निकायों में सेवारत उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ विभाग प्रमुख का आनाप्ति प्रमाण –पत्र जो इस रोजगार सूचना के बाद की दिनांक में जारी किया गया हो जिसमें आवेदक का पूर्ण नाम, विभाग में दर्ज स्थाई / अस्थाई पता, पद, वेतनमान, नियुक्ति दिनांक एवं आवेदित पद पर चयन होने की दशा में कितनी समयावधि में कार्यमुक्त किया जावेगा सहित कार्यानुभव का स्पष्ट उल्लेख हो की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न कर **URL:http://www.mponline.gov.in** पर आवेदन करना आवश्यक है।

5. आवेदन हेतू पोर्टल शुल्क मय परीक्षा शुल्क के रू. 800 / – समस्त आवेदको हेतू रहेगा तथा विभागीय शुल्क केवल सामान्य जाति के आवेदको हेतू रू. 200 / – का अतिरिक्त रहेगा ।

6. उपयुक्त पाये गये आवेदकों को आयोजित परीक्षाओं के संबंध में जानकारी **URL:http://www.mponline.gov.in** के माध्यम से ही प्रदान की जावेगी। पात्र आवेदकों हेतू मुख्य परीक्षा (Main Exam) दिनांक 20.11.2022 को आयोजित की जावेगी, इस हेतू मुख्य परीक्षा केन्द्र इन्दौर जिला रहेगा। आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्र अन्य स्थानों पर भी बनाये जा सकते है। जिन्हें निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद् महू / छावनी परिषद् महू का रहेगा। योग्यता परीक्षा 21.11.2022 को छावनी परिषद् महू में आयोजित की जावेगी। उक्त तिथियों में आवेदन की संख्या अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा किसी भी परीक्षा को 01 से अधिक दिवसों पर कार्यवाही समाप्त होने तक सतत् रखा जा सकता है ।

7. उपयुक्त पाये गये आवेदकों से मुख्य परीक्षा (Main Exam) आयोजित की जावेगी। मुख्य परीक्षा में न्युनतम 50 प्रतिशत अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक पद के विरूद्ध अधिकतम 10 अभ्यार्थी को योग्यता परीक्षा हेतू आमंत्रित किया जावेगा । **पद कमांक 01 हेतू – सामान्य वर्ग के पदों हेतू अधिकतम 30, अनुसूचित जाति वर्ग हेतू**

अधिकतम 10, EWS वर्ग हेतू अधिकतम 10 तथा शारीरिक निःशक्त वर्ग हेतू अधिकतम 10 सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थीयों (Top Candidates) से योग्यता परीक्षा (Skilled Test) ली जावेगी। प्रत्येक वर्ग में उल्लेखित अंतिम स्थान हेतू 01 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक आने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध (A to Z) किया जाकर परिणाम जारी किया जावेगा । उक्त आयोजित दोनों परीक्षाओं में आवेदकों को उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। अंतिम चयन दोनों आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई प्राविण्य सूची (Merit List) के आधार पर किया जावेगा।

8. आवेदकों से पद क्रमांक 01 हेतू 80 अंको की मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Multiple Choice Question) की आयोजित की जावेगी। इस परीक्षा में 50 अंकों के प्रश्न पद क्रमांक 1 हेतू हायर सेकेंडरी स्तर के पठ्यक्रम, 15 अंक के प्रश्न सामान्य अंग्रेजी (General English) तथा 15 अंक के प्रश्न सामान्य ज्ञान (General Knowledge) से संबंधित रहेंगे (Total 50+15+15= 80 Marks MCQ) । 20 अंको की योग्यता परीक्षा (Skilled Test) आवेदित पदों से संबंधित कार्य परीक्षण इत्यादि की आयोजित की जावेगी।

9. छावनी परिषद् को अधिकार रहेगा कि उपरोक्त पदों हेतू उपयुक्त आवेदन प्राप्त नही होने की दशा में नवीन आवेदन आमंत्रित किये जा सकते है। इस हेतू वर्तमान में विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है। किंतु आवेदकों द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नही जावेगा। उपरोक्त दर्शित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उच्च अथवा विशिष्ठ योग्यता प्राप्त अभ्यर्थीयों द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है । किंतू न्यूनतम योग्यता का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा ।

10. आवेदक निर्धारित समयावधि के पूर्व ही अपना आवेदन पोर्टल पर जमा करा देवे। अंतिम दिनांक पर लिंक फेल होने अथवा कोई अन्य तकनीकी कारणों से आवेदन जमा नही होने की स्थिती में छावनी परिषद् महू द्वारा आवेदन की दिनांक को किसी भी दशा में बढाया नही जावेगा और न ही छावनी परिषद् महू इस हेतू जिम्मेदार रहेगा।

11. आवेदन हेतू आवेदक **URL:http://www.mponline.gov.in** पर जाकर आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज सहित सही जानकारी प्रस्तुत करे। अन्यथा चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाये जाने पर आवेदन को निरस्त किया जाकर आवेदक को चयन प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा। यदि आवेदन अपूर्ण, आपात्र एंव न्यूनतम योग्यता के प्रमाण –पत्रों के अभाव में आवेदकों के आवेदन सीधे निरस्त किये जाते है, तो इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार नही किया जावेगा। किसी भी आवेदन/समस्त आवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद् महू /छावनी परिषद् महू का रहेगा।

12. आवेदक द्वारा आयोजित परीक्षा अथवा योग्यता परीक्षा में प्रतिभागिता करने से उसे चयन का अधिकार अथवा नियुक्ती का अधिकार प्राप्त नहीं हो जावेगा। अंतिम चयन व नियुक्ति पात्र अभ्यर्थी जिसके द्वारा आयोजित दोनों परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली गई है के अनुसार तैयार प्राविण्य सूची में योग्य पाये गये अभ्यर्थीयों के सम्पूर्ण दस्तावेजो को मूल दस्तावेजों से जांच कर ही की जावेगी। इस संबंध में अंतिम व सर्वमान्य निर्णय मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद् महू का रहेगा।

13. उपरोक्त दर्शित सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन अथवा समावेशन किया जाता है, तो उसकी जानकारी मुख्य रूप से छावनी परिषद् महू की वेबसाईट mhow.cantt.gov.in पर एवं सूचना हेतू एम.पी. ऑनलाईन की उपरोक्त दर्शित साईट पर ही दर्शित की जावेगी। किंतू एम.पी. ऑनलाईन की उपरोक्त दर्शित साईट पर सूचना विलंब से प्रकाशित होने, समय पर प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की दशा में छावनी परिषद् किसी भी स्थिति में जिम्मेंदार नहीं रहेगा ।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
महूं छावनी